राजस्व वाद 47/2011
दूलाराम बनाम फेफाराम वगैराह

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

वाद संख्या – 47/2011

वादीगण–

1. दूलाराम पुत्र बद्रीराम जाति–नायक निवासी–गुगरियाली तह. जायल
2. नथूराम पुत्र बद्रीराम जाति–नायक, निवासी–गुगरियाली तह. जायल
3. गोपालराम पुत्र बद्रीराम जाति–नायक, निवासी–गुगरियाली तह. जायल
4. रामकरण पुत्र बद्रीराम जाति–नायक, निवासी–गुगरियाली तह. जायल
5. भागूराम पुत्र बद्रीराम जाति–नायक, निवासी–गुगरियाली तह. जायल
6. रूपाराम पुत्र फैफाराम जाति–नायक, निवासी–गुगरियाली तह. जायल
7. रामनिवास पुत्र फैफाराम जाति–नायक, निवासी–गुगरियाली तह. जायल

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. फेफाराम दत्तक पुत्र उमाराम जायन्दा पुत्र बद्रीराम
   जाति–नायक, निवासी–खारा मांजरा, तहसील–जायल
2. बरजी पत्नी श्री बद्रीराम जाति–नायक निवासी–गुगरियाली तह. जायल
3. सरकार जरिये तहसीलदार जायल

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

उपस्थिति :–

1. श्री हनुमानराम मण्डा अधिवक्ता वादीगण
2. श्री शिवकुमार अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2
3. प्रतिवादी संख्या 1 व 8 उपस्थित

निर्णय **दिनांक :** 23/03/2021

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता मय शपथ पत्र पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 2 जो कि एक परिवार के सदस्य है तथा प्रतिवादी संख्या 1 जो कि वादी संख्या 6 व 7 के पिता है तथा इनके बडेर के खेत मौजा खारा मांजरा तहसील जायल में खसरा नं. 64, 63, 43,32, 67/1,

23/03/2021
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल.जिला नागौर

Scanned with CamScanner

के रूप में है। जिसमें खसरा नं. 63 की भूमि सामलाती कमाई से खरीद किया हुआ बताया तथा रजिस्ट्री दुलाराम के नाम करवाई गई। परन्तु इस भूमि बद्रीराम के पांच पुत्रों का भी बराबर हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 स्व. उमाराम के गोद चले जाने से उसके हक बंट की भूमि उमाराम जी की भूमि खसरा नं. 63 व 9 मौजा खारा मांजरा में है। मुतदाविया खेताय की भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने माफिक वाद पत्र बंटवारा पैरा संख्या 4 (1 से 7) अनुसार कर लिया तथा काबिज हो गये है। परन्तु राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कराये जाने हेतु वाद पत्र पेश किया है तथा माफिक वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किये जाने तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करने की इस्तदुआ वकील वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में की।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 2 की ओर से वकील श्री शिवकुमार ने जरिये इकबाली जवाब व प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वयं उपस्थित होकर उक्त वादपत्र को स्वीकार किया। जवाब सामिल पत्रावली है। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 3 का सम्मन स्वयं से तामील होकर प्राप्त हुआ है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण के संबंध में इकबालिया जवाब पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 3 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह रूपाराम, रामनिवास के पेश हुये। इसके अलावा दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी खारा मांजरा खसरा नं. 63 सम्वत् 2066—69, नकल खाता संख्या 64/61, 09/09, 63/60, प्रदर्श—1 से 4 पेश किये। अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 2 द्वारा पत्रावली में जरिये इकबालिया जवाब वादपत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र में वर्णित पैराज को प्रतिवादीगण संख्या 1 से द्वारा इकबालिया जवाब में पक्षकारान के मध्य मौजा खाराज मांजरा

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

तहसील जायल में खसरा नं. 64, 63, 43, 32, 67/1, भूमि का आपसी सहमति बंटवारा माफिक वादपत्र पैरा अनुसार होने की बात को स्वीकारा है तथा इकबालिया जवाब के वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का बंटवारा स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति शपथ पत्रादि व वादीगण एवं प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जवाब पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है। पिता के जीवनकाल में पुश्तैनी भूमि का बंटवारा तथा अपने-अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग-अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है। वादपत्र में प्रस्तुत इकबालिया जवाब में वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से ने आपसी सहमति के बंटवाड़ा अनुसार काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है। वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने-अपने हिस्से का नियमानुसार बंटवाड़ा करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा मौजा खारा मांजरा तहसील जायल में खसरा नं. 64, 63, 43, 32, 67/1, की भूमि का माफिक वाद पत्र बंटवारा पैरा संख्या 4 (1 से 7) अनुसार बंट चाहा है। वादपत्र में वर्णित खसरान् की भूमि का पक्षकारान् द्वारा किया गया विभाजन पूर्णरूपेण प्रतीत नहीं होने से वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर दिनांक 12.04.2014 को प्राथमिक डिक्री के आदेश पारित किये जाकर तहसीलदार जायल से पक्षकारान को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु आदेश पारीत किये गये।

तहसीलदार जायल ने उक्त प्राथमिक डिक्री आदेश की पालना में बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक : भू.अ./प्राथमिक डिक्री/2021 /785 दिनांक 16.02.21 के प्रेषित किये जो सामिल पत्रावली है। वकुलाय को बंटवारा प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया है जिन्होने बंटवारा प्रस्ताव सही होना जाहिर किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव के वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने को निवेदन किया। तहसीलदार जायल से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव एवं पत्रावली के अवलोकन से पाया

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

गया कि बंटवारा प्रस्ताव पर वादीगण नथुराम, गोपालराम, रूपाराम, बरजी, रामकरण व प्रतिवादी बरजी के सहमत होने से हस्ताक्षर/अंगूठा निशान अंकित किया है। इसी प्रकार वादी दूलाराम, भागुराम के बंटवारा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से इन्कार की रिपोर्ट है। प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्से में मुतदाविया खेताय की भूमि में से किसी प्रकार का हक हिस्सा नहीं रखा है जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादी संख्या 1 मुतदाविया खेताय से अपना सम्पूर्ण हिस्से का त्याग कर रहे हे एवं दावा वास्ते विभाजन व घोषणा अधीन धारा 53 व 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किाय गया है। अतः हमारी राय में यह मामला प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने हिस्से की भूमि का हक तर्क वादीगण के पक्ष में किया जाने का अर्थात भूमि अन्तरण का प्रतीत होता है अतः हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प ड्यूटि तहसीलदार जायल के पास जमा के आदेश के साथ वाद पत्र निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

: : आदेश : :

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

क्र. सं.	खातेदार	खसरा नं.	रकबा (हैक्टे.) एवं दिशा	लगान
1	वादी–दूलाराम	63 43	0.9227 नजरीनक्शानुसार 0.8579 उतरी भाग	
2	वादी–2 नथूराम	64 43	0.9637 नजरीनक्शानुसार 0.8255 नजरीनक्शानुसार	
3	वादी–3 गोपालराम	64 43	0.9637 नजरीनक्शानुसार 0.8255 नजरीनक्शानुसार	
4	वादी–4 रामकरण	64 43	0.9637 नजरीनक्शानुसार 0.8255 नजरीनक्शानुसार	
5	वादी–5 भागुराम	64 43	0.9551 नजरीनक्शानुसार 0.8336 दक्षिणी भाग	
6	वादी–6, 7 रूपाराम, रामनिवास	32 67/1	0.1781 सम्पूर्ण 1.2302 सम्पूर्ण	
7	रास्ता हेतु –	63 64 43	0.0324 पश्चिमी भाग 0.1295 नजरीनक्शानुसार 0.1295 ई. भाग - पूर्वी	

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है कि वे प्रतिवादी संख्या 2 का मुतदाविया खेताय में हक हिस्सा नहीं रखे जाने से नियमानुसार हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प शुल्क जमा कराये जाने पर माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 23/03/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

23/03/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

वाद संख्या – 47/2011

वादीगण–

1. दूलाराम पुत्र बद्रीराम जाति–नायक निवासी–गुगरियाली तह. जायल
2. नथूराम पुत्र बद्रीराम जाति–नायक, निवासी–गुगरियाली तह. जायल
3. गोपालराम पुत्र बद्रीराम जाति–नायक, निवासी–गुगरियाली तह. जायल
4. रामकरण पुत्र बद्रीराम जाति–नायक, निवासी–गुगरियाली तह. जायल
5. भागूराम पुत्र बद्रीराम जाति–नायक, निवासी–गुगरियाली तह. जायल
6. रूपाराम पुत्र फैफाराम जाति–नायक, निवासी–गुगरियाली तह. जायल
7. रामनिवास पुत्र फैफाराम जाति–नायक, निवासी–गुगरियाली तह. जायल

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. फेफाराम दत्तक पुत्र उमाराम जायन्दा पुत्र बद्रीराम
   जाति–नायक, निवासी–खारा मांजरा, तहसील–जायल
2. बरजी पत्नी श्री बद्रीराम जाति–नायक निवासी–गुगरियाली तह. जायल
3. सरकार जरिये तहसीलदार जायल

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. श्री हनुमानराम मण्डा अधिवक्ता वादीगण
2. श्री शिवकुमार अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2
3. प्रतिवादी संख्या 1 व 8 उपस्थित

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री हनुमानराम मण्डा अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 व 2 हाजरी श्री शिवकुमार पाराशर प्रतिवादी संख्या 3 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – वादी का वाद तहसीलदार जायल से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है

क्र. सं.	खातेदार	खसरा नं.	रकबा (हैक्टे.) एवं दिशा	लगान
1	वादी–दूलाराम	63 43	0.9227 नजरीनक्शानुसार 0.8579 उतरी भाग	

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल
23/03/2021
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

2	वादी–2 नथूराम	64 43	0.9637 नजरीनक्शानुसार 0.8255 नजरीनक्शानुसार	
3	वादी–3 गोपालराम	64 43	0.9637 नजरीनक्शानुसार 0.8255 नजरीनक्शानुसार	
4	वादी–4 रामकरण	64 43	0.9637 नजरीनक्शानुसार 0.8255 नजरीनक्शानुसार	
5	वादी–5 भागुराम	64 43	0.9551 नजरीनक्शानुसार 0.8336 दक्षिणी भाग	
6	वादी–6, 7 रूपाराम, रामनिवास	32 67/1	0.1781 सम्पूर्ण 1.2302 सम्पूर्ण	
7	रास्ता हेतु –	63 64 43	0.0324 पश्चिमी भाग 0.1295 नजरीनक्शानुसार 0.1296 } भाग–पूर्वी	

तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है कि वे प्रतिवादी संख्या 2 का मुतदाविया खेताय में हक हिस्सा नहीं रखे जाने से नियमानुसार हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प शुल्क जमा कराये जाने पर माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे।

23/03/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी जायल (नागौर)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला नागौर

तीज – **मुबलिग** – **बाबत्** – खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23/03/2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
			खर्चा गवाहान		
महनताना वकील			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराज हुक्मनामा					
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

23/03/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला नागौर

Scanned with CamScanner